

Registration no: (212115420211123133047) Date: (0) Valid till: (0)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | KATI HAR
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

ST. JOSEPH'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL DUMAR

AT + PO. DUMAR, KATI HAR, BIHAR - 854104

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रचोपनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकरण प्रमाण पत्र ।

महोदय,


आपके आवेदन पत्र दिनांक. 23-11-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये सजाचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय क्रिसदस्वीय समिति के बैठक दिनांक : 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय ST. JOSEPH'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL DUMAR, AT + PO. DUMAR, KATI HAR, BIHAR - 854104, KATI HAR, 854104 को कक्षा 1 से 8 तक संघासन हेतु तीन वर्षों 8 से 23-11-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रसूचीकरण प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचीकरण निम्न शर्तों के अनुपालन में अर्पण होगा।

1. प्रसूचीकरण किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने में।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की मुफ्त क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अक्षाधिकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संघासन हो रहा है. तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय असम से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन वीस नहीं प्राप्ति किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उस प्रमाण पत्र के अनुपस्थितता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का खारीरिक्त टंक नहीं दिया जाएगा तथा मनसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।
 - (iii) किसी भी बच्चे को निर्धारित शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के अ. 10 में दिखाने बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।
 - (vi) शिक्षकों का निवाजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित म्यूनरतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम के धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्बहन करेगे ।
 - (viii) शिक्षक निर्जी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्षों का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।



सब अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को धरकरान रखेगा। विद्यालय के अतिरिक्त निम्न के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 87128.0 डिसेमिटर

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 87128.0 डिसेमिटर

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :- 1.STAGE , 2.ASSEMBLY GROUND, 3.DRINKING WATER, 4.CHILDRENS PARK

(IV) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 15

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 4

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग खोलास्य :- Indian , Boys :- 8 , Girls 8

(VII) वेबसाइट की सुविधा :- Yes

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 2

(IX) बाधारहित पहुँच :-

(X) विद्युत अधिनियम तामस्रि खोल-मुह उपकरण/पुस्तकालय :- 1. Black Board 2. Computers 3. LCD Projectors , 1. Football- 5 2. Cricket Bat and Ball 5 3. Skee... 6 - 10 4. Accurimion - 10 5. Volleyball - one set , (Y , 800 , NewsPaper Magazines:- 5)

11. कोई भी अचलसंपत्ति वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संरक्षित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान आ उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीडा के लिये ही बनाए जाएंगे ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1980 (1980 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत पंजीकृत किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संरक्षित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संरक्षित नहीं होगा ।
15. सेवा का अंशदान एवं उसका प्रमाणांतरः पार्टी ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आचोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रतीकृत कोड संख्या [212118420211123133047, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का संपर्क करने में इस कोड को अधिक एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा प्रशासिका के द्वारा समय-समय पर विद्युत एवं सूचनाई, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रतीकृत की कर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संसाधन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
9. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य वर्त

29.5.22





विद्यालय भाजन
हो 1/-
जिला शिक्षा प्रशासिका, KATI HAR
शिक्षा विभाग , विहार सरकार

